

1964 के Civil Rights Act (सिविल राइट्स एक्ट – नागरिक अधिकार कानून) के टाइटल VI के तहत आप के अधिकार

1964 के Civil Rights Act (सिविल राइट्स एक्ट – नागरिक अधिकार कानून) के टाइटल VI के तहत यह आवश्यक है कि युनाइटेड स्टेट्स में किसी भी व्यक्ति को ऐसे किसी भी कार्यक्रम या कार्यकलाप, जो कि संघ सरकार से वित्तीय सहायता प्राप्त करता हो, जाति, रंग या मूल राष्ट्रीयता के आधार पर अलग न रखा जाए, उसके लाभ प्रदान करने से इन्कार न किया जाए या उससे भेदभाव न किया जाए। प्रेसिडेन्शियल एग्ज़ेक्युटिव ऑर्डर 12898 अल्पसंख्यकों और कम आय वाले लोगों के साथ परिवेशी न्याय के मुद्दे से संबंधित है। प्रेसिडेन्शियल एग्ज़ेक्युटिव ऑर्डर 13166 अंग्रेजी में सीमित दक्षता वाले लोगों को सेवाओं से संबंधित है।

कोई भी व्यक्ति, जिसे लगता है कि उसे किसी (कार्यक्रम से) विमुख रखा गया है, उसके लाभ प्रदान नहीं किये गये हैं या उसके साथ भेदभाव किया गया है, कैपिटल कॉरिडोर जॉइन्ट पॉवर्स अथॉरिटी (Capitol Corridor Joint Powers Authority) में लिखित शिकायत दर्ज करा सकता है। संघीय और राज्य के कानूनों के तहत आवश्यक है कि शिकायतें अंतिम कथित घटना के एक सौ अस्सी (180) कैलेन्डर दिनों के भीतर दायर की जाए।

गैर भेदभाव दायित्वों के बारे में अधिक जानकारी प्राप्त करने के लिए या एक टाइटल VI शिकायत दायर करने के लिए अपनी माँग यहाँ भेजें:

Capitol Corridor Joint Powers Authority
c/o San Francisco Bay Area Rapid Transit District (BART)
ATTN: Office of Civil Rights
300 Lakeside, Suite 1800
Oakland, CA 94612
(510)874-7333 Fax (510) 464-7587
info@capitolcorridor.org

शिकायत फॉर्म वेबसाइट
www.capitolcorridor.org/title-vi/
से भी प्राप्त किये जा सकते हैं

टाइटल VI ही कानून है



